**संख्या-32/2026/1235/58-2026-2054157**

प्रेषक,

**संजीव कुमार त्रिपाठी,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 16-07-2026**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नवीन मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2401-108-04-आलू बीज के विक्रय दर में छूट की योजना'' में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बान्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-18/बजट/2026-27 दिनांक-25-05-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नवीन मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2401-108-04-आलू बीज के विक्रय दर में छूट की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना विषयक निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

(2) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व उद्यान विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(7) विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(13) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001080400 आलू बीज के विक्रय दर में छूट की योजना **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-90-X2026-27-दिनांक:15-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(संजीव कुमार त्रिपाठी)**
अनु सचिव।

**संख्या- 32 /2026/1235(1)/58-2026, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**संजीव कुमार त्रिपाठी**

अनु सचिव।

https://shasanadesh